–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 94 / 2009

उनवान

नन्दा पुत्र हीरा जाति– जाट नि0 ग्राम देराठु नसीराबाद
—— वादी जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. अधिशाषी अधिकारी, अजमेर सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा नसीराबादख अजमेर
3. जगदीश पुत्र कल्याण जाति–ढोली नि0 ग्राम– देराठू नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2 व 3 अनुपस्थित

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 रा0 का. अधि0 1955 व धारा 136 भू रा0 अधि0

–: निर्णय :– दिनांक :– 10/7/25

प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के न्यायालय से इन निर्देशो के साथ प्राप्त हुआ है कि वादी ने जिस विवादित भूमि के सबंध में अनुतोष चाहा है, उसके खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नियुक्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के वंर्किग ख0न0 4856 रकबा 13–0–10 की आराजी वादी ने प्रतिवादी स0 2 से जरियें नीलामी दिनांक 20.3.78 को कय की थी। तथा दिनांक 6.11.2006 को उक्त आराजी का विकय पत्र वादी के पक्ष में निषपादित किया गया। उक्त वादग्रस्त सम्पदा का अंकन राजस्व अभिलेख में वादी के नाम नही किया गया है। अतः दावाकृत आराजी के हाल ख0न0 6524, 6525, 6522 व 6523 का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी 1 कि ओर से राज0 पैरोकार ने पूर्व में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी नीलामी दिनांक को गैर खातेदारी में दर्ज थी। प्रतिवादी 3 अनुसूचित जाति का होने से प्रकरण धारा 42 रा0 का. अधि0 1955 से बाधित है। वादी भूमि पर अतिकमी है अतः वादग्रस्त आराजी को सिवायचक घोषित किया जावे।

प्रतिवादी 2 के विरूद्व विधिवत रूप [illegible] कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी 3 प्रकरण में अनुप[illegible] संख्या 3 ने जरियें अधिवक्ता जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी [illegible] समय से काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी ने वाद में स्पष्ट नही किया है कि नीलामी किस व्यक्ति[illegible]मि अथवा

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वसूली के बाबत हुयी व क्यों हुयी। प्रतिवादी के पिता का नाम किशन नही हो कर कल्याण है। किशन के नाम से उक्त आराजी कभी खातेदारी दर्ज नही हुयी। उक्त आराजी नीलामी दिनांक को गैर खातेदारी में दर्ज थी। अतः विवादित नीलामी आरम्भ से ही शून्य है। वादी उक्त आराजी पर आरम्भ से ही काबिज काश्त है। वादी के नाम उक्त आराजी की विरासत नामा0 396/24.12.2004 से दर्ज की गयी है। वादी ने 31 वर्षो तक कोई कार्यवाही नही की है। वाद मियाद बाहर है अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में वाद व जवाब कोई में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया आराजी मुतनाजा वादी ने जरियें नीलामी विधिक रूप से क्रय की है ?

—— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

—— वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के सर्मथन में प्रदर्श 1 से 11 पेश किये व वादी के मौखिक बयान दर्ज करवायें

अधिवक्ता प्रतिवादी 3 ने प्रदर्श 1 से 4 पेश कियें व प्रतिवादी जगदीश के मौखिक बयान दर्ज करवायें।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत हैः—

तनकी संख्या 1 :—

वादीगण का कथन है कि उसने वादग्रस्त आराजी जरियें नीलामी प्रतिवादी 2 से दिनांक 20.3.78 को क्रय की थी। राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि वादी के नाम अंकित नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत आराजी मुतनाजा के हाल व साबिक राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी साबिक ख0न0 4856 नीलामी दिनांक को प्रतिवादी 3 के पिता के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी। उक्त आराजी की खातेदारी नीलामी दिनांक के बाद प्राप्त हुयी है। पूर्व व हाल राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी 2 के नाम दर्ज नही है। प्रतिवादी 2 द्वारा प्रतिवादी 3 अथवा उसके पूर्वजों को किस बाबत व किस दिनांक को ऋण दिया गया यह पत्रावली में स्पष्ट नही है। ऋण राशि व नीलामी के सम्पूर्ण तथ्य वादी ने अपने वाद में सिद्व नही कियें है। आराजी मुतनाजा गैर खातेदारी की होने व प्रतिवादी संख्या 3 अनुसूचित जाति का होने के कारण उक्त आराजी की नीलामी अविधिक है। तनकी संख्या 1 व 2 विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :—

वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की है। राज0 काश्त0 अधि0 1955 की धारा 42 के विधिक प्रावधानुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति की आराजी गैर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को, विक्रय, दान, वसीयत अथवा नीलामी द्वारा हस्तांतरित नही की जा सकती। राज0 सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 5(3) राज./4/86 दिनांक 9.1.1998 द्वारा व राज0 कृषि साख प्रचलन (कठिनाई एवं निराकरण) अधि0 [illegible] 14 (2) में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की भूमि को बैंक द्वारा ऋण की एवज में गैर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को बैचना [illegible] अधि0 1955 की धारा 42 विशेष विधि है, जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित [illegible] के हको को सुरक्षित रखने के लियें

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बनायी गयी है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि नीलामी द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्ति को बेची नही जा सकती अतः प्रस्तुत प्रकरण में वादी व प्रतिवादी 2 के मध्य निष्पादित नीलामी की कार्यवाही अवैध व शून्य है। प्रकरण माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा रिमाण्ड होने के बाद वादी अधिव द्वारा प्रकरण में नवीन साक्ष्य व दसतावेज पेश नही किये है। राज0 पैरोकार ने जवाब में कथन किया है कि आराजी मुतनाजा को सिवायचक घोषित किया जावे। प्रतिवादी 3 अपने बयानों में स्वीकार करता है कि वादग्रस्त आराजी गत् 30 वर्षों से वादी के कब्जे काश्त में है। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। प्रतिवादी का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त नही है। किन्तु प्रकरण राज0 काश्त0 अधि0 1955 की धारा 42 से बाधित होने के कारण तनकी संख्या 2 विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के हाल ख0न0 6524 (1.80), 6525 (0.13), 6522 (0.22) व 6523 (0.13) पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जात है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर नियमानुसार राज0 काश्त0 अधि0 1955 की धारा 175 के तहत कार्यवाही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:08 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

नन्दा बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 94/2009
पेश करने की दिनांक – 21.02.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के हाल ख0न0 6524 (1.80), 6525 (0.13), 6522 (0.22) व 6523 (0.13) पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जात है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर नियमानुसार राज0 काश्त0 अधि0 1955 की धारा 175 के तहत कार्यवाही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 7 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:08 IST
Reason: SelfAttested